[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं0 57/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. .... (अ)– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यथास्थिति, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद में आने वाले विवरण के मालों को, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में मानक दर पर यथा संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा विनिनिर्दिष्ट किसी शर्त के अधीन रहते हुए, जिसकी शर्त संख्या उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्रम सं0	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	शर्त सं0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	4016 99 90	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) माइक्रोफोन रबड़ केस (ii) सेंसर रबड़ केस/सिलिंग गास्केट, जिसके अंतर्गत रबड़ जैसे एस.बी.आर., ई.पी.डी.एम., सी.आर., सी.एस., सिलिकान से सिलिंग गास्केट/ केस और सभी अन्य व्यष्टिक रबड़ या संयोजन/ रबड़ों के संयोजन हैं	10%	1
2.	7318 15 00	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए पेच	10%	1
3.	7326 90 99	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए सिम साकेट/अन्य यांत्रिक मदें (धातु)	10%	1
4.	8517 12	सैलुलर नेटवर्कों से भिन्न अन्य बेतार नेटवर्कों के लिए टेलीफोन	कुछ नहीं	-

5.	8517 70 90	(क) सैलुलर मोबाइल फोन के पुर्जों से भिन्न अन्य माल (ख) पूर्वोक्त (क) में वर्णित पूर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उपपुर्जे	कुछ नहीं	-
6.	कोई अध्याय	(क) सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) मुद्रित परिपथ बोर्ड संयोजन (पीसीबीए) (ii) कैमरा मोड्यूल (iii) कनैक्टर (iv) डिस्पले असेम्बली (v) टच पैनल/कवर ग्लास असेम्बली (vi) वाईब्रेटर मोटर/रिंगर (ख) पूर्वोक्त (क) में वर्णित पूर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे (ग) पूर्वोक्त (ख) में वर्णित पूर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उपपुर्जे	कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं	1 1 1
7.	कोई अध्याय	सैलुलर मोबाइल फोन के निम्नलिखित पूर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या कच्ची सामग्रियां :- (i) चार्जर या एडैप्टर (ii) बैटरी पैक (iii) वायरड़ हैड सैट (iv) बैटरी कवर (v) फ्रंट कवर (vi) फ्रंट कवर (जस्ता कास्टिंग के साथ) (vii) मिडल कवर (viii) जीएसएम एन्टीना/किसी प्रौद्योगिकी का एन्टीना (ix) साइड की (x) मुख्य लैंस (xi) कैमरा लैंस (xii) पेच (xiii) माइक्रोफोन रबड़ केस (xiv) सेंसर रबड़ केस/सिलिंग गास्केट, जिसके अंतर्गत रबड़ जैसे	कुछ नहीं	1

		एस.बी.आर., ई.पी.डी.एम., सी.आर., सी.एस., सिलिकान से सिलिंग गास्केट/केस और सभी अन्य व्यष्टिक रबड़ या संयोजन/रबड़ों के संयोजन हैं (xv) पीयू केस/सिलिंग गास्केट - पालीयूरेथेन फोम की अन्य वस्तुएं, जैसे सिलिंग गास्केट केस (xvi) पीई, पीपी, पीपीएस, पीसी से सिलिंग गास्केट/केस और सभी अन्य व्यष्टिक पालीमर या संयोजन/पालीमरों के संयोजन (xvii) सिम साकेट/अन्य यांत्रिक मदें (धातु) (xviii) सिम साकेट/अन्य यांत्रिक मदें (प्लास्टिक) (xix) बैक कवर (xx) कंडक्टिव क्लाथ (xxi) हीट डिसीपैशन स्टीकर बैटरी कवर (xxii) स्टीकर बैटरी स्लाट (xxiii) मुख्य लैंस के लिए संरक्षा फिल्म (xxiv) एलसीडी एफपीसी के लिए माइलार (xxv) एलसीडी कंडक्टिव फोम (xxvi) फिल्म फ्रंट फ्लैश (xxvii) एलसीडी फोम (xxviii) बीटी फोम (xxix) माइक्रोफोन और रिसीवर (xxx) की पैड (xxxi) यूएसबी केबल		
8.	कोई अध्याय	निम्नलिखित पूर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या कच्ची सामग्रियां :- (i) किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी नेटवर्क से कनैक्ट होने में समर्थ अन्य मशीनें (8443 32 90) (ii) प्रिंट हैड संयोजन के साथ इंक कार्ट्रेज (8443 99 51) (iii) प्रिंट हैड संयोजन के बिना इंक कार्ट्रेज (8443 99 52) (iv) इंक स्प्रे नोजल (8443 99 53)	कुछ नहीं	1

		(v) बेस स्टेशन (8517 61 00) (vi) टैरिफ मद 8517 62 90 के अंतर्गत आने वाले सभी माल (vii) टैरिफ मद 8517 69 90 के अंतर्गत आने वाले सभी माल		

उपाबंध

शर्त सं0	**शर्तें**
1.	यदि आयातकर्ता, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करता है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/20/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार